

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. शिवबहादुर सिंह पुत्र भगौती सिंह नि० सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-185/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. स्वामीनाथ पुत्र बाके नि० खटिकनपुरवा नहर पुलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-210/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. हर्षे पुत्र सागर नि० खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-226/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दर्शन उर्फ कुच्ची पुत्र स्व० छितई सोनकर नि० गोडियनपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-524/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 08.07.2021**

**छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-184/21, धारा- 354 भादवि, 9/10 पाक्सो एक्ट व 3(1) डब्ल्यू एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त— सुरेन्द्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. सुरेन्द्र मिश्रा पुत्र चन्द्रभान मिश्रा नि0 जगन्नाथपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-184/21, धारा-354 भादवि, 9/10 पाक्सो एक्ट व 3(1) डब्ल्यू एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 अरुण कुमार गौतम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 08.07.2021

**थाना कर्नलगंज ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कर्नलगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 207 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कर्नलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. सलमान पुत्र बाबू नि0 कमालपुर मौजा बेलहरी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-257/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 207 ग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार मय टीम।